भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 140
सोमवार, 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना

140. इंजीनियर गुमान सिंह दामोरः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति क्या है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) पर्यटन क्षेत्र में लोक भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) पर्यटन मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उद्योग हितधारकों से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया है। नीति के प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

i. यात्रा, आवास और खर्च में वृद्धि करके और भारत को एक वर्षपर्यंत पर्यटन स्थल बनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना,
ii. पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों का सृजन करना और कुशल कार्य बल की आपूर्ति सुनिश्चित करना,
iii. पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना,
iv. देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और उनको समृद्ध बनाना,
v. देश में पर्यटन के सतत, जिम्मेदार और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना

(ख) पर्यटन क्षेत्र में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. पर्यटन मंत्रालय ने "एक विरासत को अपनाएं : अपनी धरोहर अपनी पहचान" परियोजना आरंभ की है जो एक सुनियोजित तथा चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों को पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए वहां पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का एक संयुक्त प्रयास है। इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, न्यासों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तियों और अन्य हितधारकों की कंपनियों को 'स्मारक मित्र' बनने और सीएसआर के तहत एक सतत निवेश मॉडल के संदर्भ में उनकी रुचि और व्यवहार्यता के अनुसार इन स्थलों पर बुनियादी और उन्नत पर्यटक सुविधाओं के विकास और उन्नयन की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2. स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए जारी दिशा-निर्देशों में राज्यों को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अवसरों के लिए प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।
3. प्रशाद योजना में परियोजना के अंतर्गत सृजित/सृजित की जाने वाली सुविधाओं के केवल प्रचालन और अनुरक्षण में पीपीपी मोड का प्रावधान है।

4. पर्यटन मंत्रालय बच्चों और युवाओं के बीच हमारे देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत/पर्यटन के प्रति रुचि, जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के रणनीतिक उद्देश्य के साथ "युवा पर्यटन क्लब" पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अभियान शुरू करके इस वर्ष को India@75 के रूप में मनाने की मंशा रखता है।
5. पर्यटन मंत्रालय देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने, नागरिकों के बीच राष्ट्रीय गौरव और अपनेपन की भावना पैदा करने और नागरिकों को देश के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने, पर्यटकों की संख्या बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन के लिए देश में देखो अपना देश पहल के तहत वेबिनारों का आयोजन कर रहा है।
6. देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में आम जनता के बीच रुचि और जागरूकता पैदा करने और उन्हें विभिन्न स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने MyGov मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की।
7. भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और इसका उत्सव मनाने के लिए, मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हेरिटेज वॉक, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, बुक रीडिंग सेशन, वेबिनार, फोटो प्रदर्शनियों जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं।
8. मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से छात्रों के बीच देश में इतिहास, विरासत, पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईएचएम, आईटीटीएम, स्कूलों में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, निबंध लेखन प्रतियोगिताओं और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।
9. पर्यटन मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऑनलाइन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की है।

(ग) पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, लागू विनियमों और कानूनों के अध्यधीन भारत में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में स्वचालित माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। पर्यटन संबंधी निर्माण परियोजनाओं में 100% एफडीआई की अनुमति है, जिसमें होटल, रिसॉर्ट्स और मनोरंजक सुविधाओं का विकास करना शामिल है।

****